राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/2023
दायरा तिथि : 25/07/2023
निर्णय :- 27-5-25

गणपतदास आदि बनाम जमनदास आदि
धारा 251क(1) आर.टी. एक्ट

आदेश

अप्रार्थी संख्या 01 जमनदास की ओर से एक प्रार्थना–पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाबत पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी ने कथन किया कि गणपतदास के द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 441/351 व 442/351 वाके रोही कल्याणसर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेतों में से रास्ता मांगा गया है जो पूर्ण अंकन नहीं है व प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना–पत्र राजनैतिक रंजिशवश यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के आवागमन बाबत पूर्व से रास्ता मौके पर कायम है, प्राथीगण को रास्ता किससे, किसके खेत में से तादादी कितना–कितना है अपने प्रार्थना–पत्र में अंकन नहीं है, उपरोक्त प्रार्थना–पत्र द्वारा इस धारा में दो खसरों में से आधा–आधा रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज करने का निवेदन किया है, साथ ही अंकन किया कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेतों में काफी वर्षों पूर्व से ही आवागमन करते आ रहे हैं। अपने खातेदारी खेतों में आवासीय ढाणियां बनाकर निवास करते हैं, जब पूर्व में आवागमन हेतु रास्ता कायम है तो नये रास्ता की प्रार्थीगण को कोई आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। यदि सदामद से चलने वाले रास्ता को बंद कर दिया है तो इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, सक्षम न्यायालय में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पेश कर वहां से राहत प्राप्त कर सकता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज के है, आदि–आदि पेश किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में कोई स्पष्ट अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जवाब नहीं दिया गया है, अपने जवाब में अंकित किया कि आवेदकगण को अपने आवागमन हेतु धारा 251 में इस न्यायालय के द्वारा रास्ता दिया जाना बताया है व साथ ही यह भी कथन किया कि आवेदकगण को अप्रार्थीगण के खेतों में से 12.5 फुट चौड़ा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से व 12.5 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खेतों में से दिये जाने का प्रावधान बताते हुए जवाब पेश किया है।

पक्षकारों की बहस सुनी, अप्रार्थी संख्या 01 के वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र कानूनी आपत्तियों का दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 सगे भाई हैं व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 परिवार के हैं, उपरोक्त भूमि का बंटवारा करते वक्त आवागमन हेतु रास्ता कायम किया गया था। फिर भी यदि नहीं किया गया तो यह उपरोक्त पक्षकारों का कानूनी दायित्व था कि आवागमन हेतु रास्ता किधर से रहेगा, कितना रहेगा, किसकी भूमि में से-कितना–कितना है का अपने विभाजन में किया जाना आवश्यक था, आगे कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज के है, खारिज किया जावे। प्रार्थीगण के वकील ने अपने जवाब का हवाला देते हुए कहा कि मेरा जवाब ही बहस समझा व पढ़ा जावे।

अतः पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पक्षकारों की बहस सुनी गई, अप्रार्थी संख्या 01 के प्रार्थना–पत्र प्रारम्भिक कानूनी आपतियों व बहस पर मनन किया तो प्रार्थीगण की यह पूर्ण जिम्मेवारी थी कि जब भूमि शामिलात की थी तो जब विभाजन किया गया, उस वक्त आवागमन हेतु रास्ता कायम किया जाना था व प्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उपरोक्त रास्ता धारा 251 में इस न्यायालय द्वारा दिये जाने का निवेदन किया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र कानूनी आपतियों को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना–पत्र धारा 251क(1) आर.टी. एक्ट इसी स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर